सप्तदश

बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-3

बुधवार, तिथि 24 फाल्गुन, 1944 (श०)
15 मार्च, 2023 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 03

(1)	पंचायती राज विभाग	- -	02
(2)	श्रम संसाधन विभाग	- -	01
		कुल योग --	03

भवन का निर्माण

50. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 17 जनवरी, 2023 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "किराये के भवनों में संचालित की जा रही है ग्राम-कचहरियाँ" के आलोक में क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुविधा विहीन किराये की कोठी में राज्य के 29 जिलों में 2065 ग्राम-कचहरी का संचालन हो रहा है जिससे ग्रामीणों को कठिनाई होती है वहीं सरकार को किराये मद में काफी राशि का भुगतान करना होता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक त्वरित न्याय के लिये सीमांचल कोसी सहित राज्य के सभी 29 जिलों में किराये के भवन में संचालित ग्राम-कचहरी का अपना भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनाने का निर्णय लिया गया है । पंचायत सरकार भवन के मॉडल डिजाईन में ग्राम-कचहरी के सरपंच, उप-सरपंच, ग्राम-कचहरी सचिव एवं न्यायालय कक्ष का प्रावधान किया गया है । अबतक विभाग द्वारा 3200 पंचायत सरकार भवनों की निर्माण की स्वीकृति प्रदत्त की गयी थी, जिसमें 2318 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण प्रारंभ की गयी जिसमें से 1494 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है । 824 योजनाएँ अभी निर्माणाधीन है । वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1800 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है, शेष 4039 पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों का निर्माण 2023-24 तक पूर्ण कर लेने का लक्ष्य रखा गया है ।

प्रशिक्षण केन्द्र खोलना

51. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 25 दिसम्बर, 2022 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "बिहार में रिकार्ड 4 लाख ने बनवाया पासपोर्ट 53 हजार खाड़ी देश गये" के आलोक में क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार से अन्य देशों में रोजगार के लिये जाने वाले अधिकांश मजदूर नन-मैटिक है, जिसमें ज्यादातर पलम्बर, ड्राइवर, बिजली टेक्नीशियन, लोहे का काम आदि करने वाले है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पलम्बर, ड्राइवर, बिजली टेक्नीशियन जैसी श्रेणी वाले नन-मैट्रिक मजदूरों के प्रशिक्षण के लिये पश्चिमी चम्पारण समेत अधिकांश जिलों व प्रखंडों में प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है जबकि बिहार समेत पूरे देश में बढ़ते विकास के साथ इन श्रेणी के मजदूरों की माँग काफी बढ़ी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार के सभी प्रखंडों, जिला मुख्यालयों में इस श्रेणी के मजदूरों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चुनाव कराना

52. श्री मिश्री लाल यादव (क्षेत्र संख्या-81 अलीनगर)--क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में ग्राम पंचायत का निर्वाचन वर्ष 2021 में सम्पन्न हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ग्राम पंचायत में निर्वाचित मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य पंच एवं पंचायत समिति के मृत्यु बिहार राज्य में सैंकड़ों की संख्या में हुई है ;

(3) क्या यह बात सही है कि निर्वाचित पंचायती राज के प्रतिनिधियों के मृत्यु के फलस्वरूप उक्त स्थान पर उप-चुनाव नहीं हुआ है, जो पंचायती राज के जन-प्रतिनिधि नियमावली का उलंघन है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंड़ों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य में रिक्त जन-प्रतिनिधियों के स्थान पर उप-चुनाव कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । पद रिक्ति का कारण केवल मृत्यु नहीं बल्कि त्याग-पत्र, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 यथा संशोधित की धारा 136(1) के प्रावधानों के तहत निरर्हित होना तथा पद पर नामांकन नहीं होना भी है ।

(3) उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । वर्ष 2017 में कुल 110 नगरपालिकाओं के 2646 वार्ड के अन्तर्गत 7289 मतदान केन्द्रों पर पार्षद पद हेतु निर्वाचन कराये गये थे ।

विदित हो कि वर्ष 2022 में 8 नगर निगम, 55 नगर परिषद् तथा 113 नगर पंचायतों को नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा नवगठित/उत्क्रमित/सीमा विस्तारित करते हुये कुल 176 नगरपालिकाओं को अधिसूचित किया गया है । अधिसूचना के पश्चात् उक्त नगरपालिकाओं का वार्ड गठन का कार्य सम्पन्न हुआ ।

इस प्रकार वर्ष 2022 में कुल 248 नगरपालिकाओं के 5348 वार्ड अन्तर्गत 15210 मतदान केन्द्रों पर एक साथ तीन पदों यथा वार्ड पार्षद, उप-मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद का निर्वाचन मतदाताओं द्वारा किये जाने की तैयारी की गई । जिसमें अबतक 224 नगरपालिकाओं का निर्वाचन दिसम्बर, 2022 तक सम्पन्न कराये जा चुके है ।

ज्ञात हो कि पंचायत निर्वाचन एवं नगरपालिकाओं का निर्वाचन जिला स्तर पर एक ही प्रशासनिक तंत्र द्वारा कराये जाते है ।

उक्त परिप्रेक्ष्य में पंचायत के रिक्त पदों पर उप-निर्वाचन नहीं कराया जा सका है ।

(4) रिक्त पदों पर पंचायत उप-निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु अद्यतन मतदाता सूची तैयार किये जाने के निमित राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन विभाग से मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन का डाटा की अभियाचना की गई है । डाटा प्राप्त होने और सभी वैधानिक कार्रवाई पूर्ण होते ही आयोग के द्वारा उप-निर्वाचन कराये जाने संबंधित कार्यक्रम विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा । पंचायत उप-चुनाव का कार्यक्रम और आयोग की अनुशंसा प्राप्त होते ही विभाग के द्वारा अधिसूचना निर्गत की जायेगी ।

पटना :
दिनांक 15 मार्च, 2023 (ई0) ।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0, 88(एल0ए0), 2022-23-डी0टी0पी0-550